भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1603
दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

†1603. डॉ. डी. रवि कुमार:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु पुलिस सहित राज्य पुलिस साइबर धोखाधड़ियों में खोए हुए धन को रोकने और उसकी वसूली के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और सिटीजन फाइनेशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) पर बहुत अधिक निर्भर है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एनसीआरपी पर साइबर अपराध की कुल शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और श्रेणी-वार संख्या कितनी है और ऑनलाइन घोटालों के कारण नागरिकों द्वारा सूचित की गई वित्तीय हानि और सीएफसीएफआरएमएस के माध्यम से कितनी धनराशि सफलतापूर्वक बचाई गई या फ्रीज की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हजारों करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने और पीड़ितों को धनराशि वापस करने में विलंब हुआ है और प्राप्त शिकायतों, फ्रीज की गई राशि और पोर्टल के माध्यम से लौटाई गई राशि की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार के पास साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली स्टाफ, बैंकिंग समन्वय और तकनीकी सहायता को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है ताकि धोखाधड़ी की गई राशि की शीघ्र वसूली और वापसी सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1603, दिनांक 28.07.2026

(क) से (घ): 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से, साइबर अपराध प्रबंधन और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण संबंधी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। आई4सी द्वारा संचालित एनसीआरपी और सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, वर्ष 2023 से 2025 के दौरान, 50,11,083 से अधिक वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें एनसीआरपी पर दर्ज की गईं , 7,788 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की लियन मार्किंग की गईं और 132 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस लौटाई गई।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 30.48 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 32.08 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 25,698 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 15.75 लाख से अधिक सिम कार्डों और 5.77 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1603, दिनांक 28.07.2026

परिचालन दक्षता को और मजबूत करने तथा साइबर अपराध की शिकायतों के निपटान में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई, बैंक के साथ समन्वय, शिकायत निवारण, लियन मार्किंग को हटाने और धोखाधड़ी से प्रभावित धन को सही दावेदारों को लौटाने करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया है। पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्रभावित धन को शीघ्र लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और बैंक खातों को फ्रीज करने और लियन मार्किंग से संबंधित शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के लिए शिकायत निवारण मॉड्यूल अप्रैल, 2026 से कार्यात्मक बना दिया गया है।

आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' , 'बैंक कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।
